



Under Jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited

"मिनी रत्न कम्पनी"

पंजीकृत कार्यालय : सीपत रोड, पो0बा0 नं0 60, बिलासपुर (छ0ग0) - 495 006
Regd. Office : Seepat Road, P.B. No. 60, Bilaspur (C-G-) - 405 006

कमांक- एसईसीएल/बीएसपी/एनईई/विभागीय चयन/2017/01 दि. : 09.01.2017

:: त्रुटि सुधार (Corrigendum) ::

इस कार्यालय से विभागीय कर्मियों के माईनिंग सरदार पद पर चयन हेतु पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र.- एसईसीएल/बीएसपी/एनईई/विभागीय चयन/2016/870, दि. 03.12.2016 में अनजाने में भूलवश उसके द्वितीय पृष्ठ के द्वितीय पैरा- " निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कर्मचारी जोकि शार्टेज कैटेगिरी में हैं, वे माईनिंग सरदार, तक. एवं पर्य. ग्रेड- के लिए आवेदन नहीं कर सकते. " में आंशिक सुधार कर उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा एवं समझा जाए :-

एसईसीएल के कार्यरत निदेशक मंडल की 587 वीं बैठक जो दि. 25.06.2016 को हुई थी, जिसके आयटम क्र.- 587.15 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था :-

".... Those departmental candidates who possess the Mining Sirdar Certificate of Competency and eligible as per the Cadre Scheme shall be allowed to apply for the post of Mining Sirdar in T&S Gr. 'C' in terms of Notification No. 800, dated 13.05.2016, even if they belong to the barred post & category/grade, as brought out in the agenda."

उक्त निर्णय के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि अब माईनिंग सरदार पद के लिए कोई प्रतिबंधित श्रेणी नहीं है । अब एस.ई.सी.एल. में कार्यरत कोई भी कर्मचारी जो माईनिंग सरदार सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, वे चाहे किसी भी पदनाम, वेतन एवं श्रेणी में कार्यरत हैं, वे माईनिंग सरदार पद के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

फलतः एसईसीएल में कार्यरत जो भी विभागीय कर्मचारी अब तक पूर्व अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित पदनाम एवं श्रेणी में रहने के चलते माईनिंग सरदार पद पर चयन हेतु आवेदन नहीं कर सके हैं या जिनके आवेदन अग्रेषित नहीं किए गए हैं, वे अब इस त्रुटि-सूधार पूरक अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर उचित माध्यम से देना सुनिश्चित करें, जिस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा ।

1. क्षेत्रीय स्तर पर आवेदन जमा करने की अंतिम संशोधित तिथि- 19.01.2017
2. क्षेत्र से मुख्यालय, आवेदन प्रेषित करने की अंतिम संशोधित तिथि- 23.01.2017

शेष सभी शर्तें व परिस्थितियाँ पूर्व विवेच्य अधिसूचना के अनुसार यथावत प्रभावशील रहेंगी ।

महाप्रबंधक(का/एनईई/पीएफ-पेंशन),
एसईसीएल, बिलासपुर.

वितरण :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, एसईसीएल, मुख्यालय, बिलासपुर ।
2. समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एसईसीएल, क्षेत्र

3. महाप्रबंधक(सिस्टम), एसईसीएल, बिलासपुर- कृपया एसईसीएल की वेब-साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
4. समस्त क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एसईसीएल, क्षेत्र
5. डेस्क आफिस, एसईसीएल, भोपाल/नागपुर ।
6. मुख्य प्रबंधक(वित्त), एसईसीएल, कोलकाता ।
7. समस्त सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु ।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ ।

1. तकनीकी सचिव, अप्रनि सचिवालय, एसईसीएल, बिलासपुर ।
2. तकनीकी सचिव- निदेशक(वित्त)/निदेशक(कार्मिक)/निदेशक तक.(संचालन)/ निदेशक तक.(योजना/परियोजना), एसईसीएल, बिलासपुर ।
3. वरीय प्रबंधक(सचिवीय) मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसईसीएल, बिलासपुर ।

